



कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएं कक्ष  
254-260, अव्वै शण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014


Corporate Office, Investor Services Cell  
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014

## ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस NOTICE OF ELEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

सोमवार, 12 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे  
चेन्नै में

Monday, the June 12, 2017 at 10.30 a.m.  
at Chennai


# विषयवस्तु



	पृष्ठ संख्या
सूचना	3
टिप्पणियाँ	6
संबंधित अधिनियमों, विनियमों आदि के उद्धरण	15
नामांकन फार्म	22
घोषणा	23
उम्मीदवार का वैयक्तिक विवरण	25
ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरण हेतु फार्म	27
प्रॉक्सी फार्म	28
उपस्थिति पर्ची	29

## CONTENTS

	Page No.
Notice	30
Notes	33
Extracts of relevant Acts, Regulations etc	42
Nomination Form	49
Declaration Form	50
Personal Information Form	52
Form for NECS mandate / Bank Account details	54
Proxy Form	55
Attendance Slip	56



## सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक जून 12, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. बैंक के 31 मार्च 2017 को समाप्त वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे व लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।
2. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश, घोषित करना।
3. प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में संशोधन तथा अनुमोदन, सहमति, मंजूरी के अधीन अगर कुछ हों और / या इस संबंध में जहां आवश्यक हो कोई भी प्राधिकारी तथा उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को प्रदान करने हेतु निर्धारित शर्त व आशोधन जो भी हों, उन शर्तों के अधीन तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दिये जाने पर तथा विनियमों जैसे सेबी (पूजी जारीकरण तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम), जो समय समय पर आशोधन किया जाता है। भारिबैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कुछ हो, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 3 (2बी)(सी) के अधीन बैंक द्वारा लिये जानेवाले निर्णय के अनुसार अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार निर्गम / निजी तौर पर शेयर आबंटन / क्यूआईपी / अधिमानी निर्गम के जरिए रुपए 10/- के अंकित मूल्य वाले 4.75 करोड़ इक्विटी शेयर के निर्गम को जुटाने हेतु अनुमोदन निम्नलिखित विशेष संकल्प के जरिए पारित करना।

**संकल्प पारित किया गया कि** बैंकिंग (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि है और / अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी और इस संबंध में शर्तें तथा संशोधन जैसे कि अनुमोदन देते समय उनके द्वारा विहित है और जिसमें निदेशक मंडल को सहमति हो और शर्तों के अधीन अर्थात्, सेबी (पूजी जारी और अपेक्षित प्रकटीकरण) अधिनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियमन) / मार्गदर्शी यदि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी के द्वारा अधिसूचना / परिपत्र आदि बैंकिंग अधिनियम, 1949, प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य प्रयोज्य कानून अथवा समय समय पर अन्य संगत प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए और स्टॉक एक्सचेंज के साथ की गई लिस्टिंग करार के शर्ताधीन, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्द्वारा शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे बोर्ड अभिहित किया जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति अथवा इस संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार समेत उसके शक्ति का प्रयोग करने के लिए गठित समिति) जो आबंटन, प्रस्ताव और जारी करने (फर्म आबंटन के मुद्दे पर आरक्षण के लिए प्रावधान समेत और / अथवा ऐसे भाग के प्रतियोगी के आधार पर और फिर लागू कानून द्वारा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए अनुमति दी जा सकती है) एक प्रस्ताव अभिलेख / प्रोस्पैक्ट अथवा ऐसा अन्य दस्तावेज भारत अथवा विदेश में प्रति 10 रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर और 4.75 करोड़ (मात्र चार करोड़ पचहत्तर लाख) इक्विटी शेयर और इसका कुल मिलाकर रुपए 47.50 करोड़ से अधिक न हो, जोकि बैंक की अधिकृत पूंजी को उच्चतम सीमा रुपए 3000 करोड़ के बैंक की कुल प्राधिकृत निधि में से रुपए 480.29 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के साथ अथवा संशोधन के अनुसार अधिकृत पूंजी (यदि है), जिसे भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार शामिल किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% के नीचे धारणा नहीं करेंगे, चाहे बट्टाकृत अथवा बाजार दर के प्रीमियम, एक अथवा अधिक शृंखला में सदस्यों में से एक या अधिक सदस्य व बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनियों, व्यक्तिगत व सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, खोज संस्थान, योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददार (क्यूआईबी) जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय पारस्परिक निधि, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य संस्थाओं, प्राधिकारी अथवा किसी अन्य वर्ग के निवेशक मौजूदा विनियम / मार्गदर्शी के अनुसार अथवा उपर्युक्त में से कोई भी समूह या आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII ए के अनुसार संस्थागत स्थानान के अधीन संस्थागत निवेशकों को, बैंक जैसे कि उचित समझे, निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।

**पुनः संकल्प पारित किया गया कि** इस इश्यू प्रस्ताव या आबंटन को पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, क्यूआईपी अधिमानी इश्यू या ऐसा कोई अन्य इश्यू द्वारा किया जाएगा जिसका अधिक आबंटन विकल्प सहित या बगैर, इस तरह के प्रस्ताव मुद्दे, प्लेसमेंट और आबंटन, लागू कानूनों को बैंकिंग कंपनी अधिनियम विनियम, आईसीडीआर विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देशों, सेबी और किसी अन्य प्राधिकारी के प्रावधानों के तहत, जो कि इस तरह के अन्य मुद्दे के माध्यम से और ऐसे समय और इस प्रकार और ऐसी शर्तें, जो बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक द्वारा उचित समझा जाए लागू किया जा सकता है।

**पुनः संकल्प पारित किया गया** कि उपर्युक्त मामले में, बोर्ड इस तरह के तरीके से ऐसे मूल्य या कीमतों पर और जहां आवश्यक हो, लीड मैनेजर या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आईसीडीआर विनियम, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के मामले में यह फैसला करेगा कि आईसीडीआर नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मूल्यों से कम के प्रस्तावित निवेशक बैंक के मौजूदा शेयर धारक है अथवा नहीं। अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों।

**पुनः संकल्प पारित किया गया कि** प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुई लिस्टिंग करार के प्रावधानुसार, सेबी के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएँ तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, {सेबी एलओडीआर विनियमन} अधिनियम के प्रावधानों विनियम के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन ( भारत से बाहर एक निवासी द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी) विनियम, 2000, और प्रावधानों के अपेक्षित अनुमोदन के अधीन, सहमति, अनुमति और/या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)की मंजूरी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संबंधन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआरपीपी) और जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी कहा गया है, और अन्य सभी प्राधिकारियों जैसा कि अपेक्षित है (जिन्हें सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारों कहा गया है) और उनमें से किसी के द्वारा भी निर्धारित शर्तों के आबंटन के लिए समय समय पर अनुमोदन से पहले रखे गए शर्तों/सहमति/अनुमति, जो “ आवश्यक अनुमोदन” कहे जाएंगे एक या एक से अधिक चरणों में वारंटों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य किसी भी प्रतिभूतियों में समय समय पर एक बाद की तारीख में परिवर्तनीय या ईक्विटी शेयरों के साथ विनियम कर सकता है, इस तरह की किसी भी समय केन्द्र सरकार क्यूआईबी ( आईसीडीआर विनियम में के अध्याय आठवी में परिभाषित मानती है) के लिए योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के तहत, जैसा कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय viii बैंक की ईक्विटी पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत धारण कर सकता है, दस्तावेज और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों/लेखन/परिपत्रों/ज्ञापन और ऐसी कीमत पर, नियमों और शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है आईसीडी आर विनियम या कानून के अन्य प्रावधानों के तहत जारी ईक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत उसकी निर्धारित दर आईसीडीआर विनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कम नहीं होगी।

**पुनः संकल्प पारित किया जाता है** कि क्यूआईपी के मामले में आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के भीतर केवल क्यूआईबी के लिए होगा, ऐसी प्रतिभूतियों का पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा और इस तरह के प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प को पारित होने की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

**“पुनः संकल्प पारित किया जाता है** कि एक क्यूआईपी इश्यू के मामले में आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुसार बैंक समय-समय पर आईसीडीआर विनियम द्वारा निर्धारित शेयरों पर छूट की पेशकश करने के लिए अधिकृत है और प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख आईसीडीआर नियमों के अनुसार होगी।”

**“पुनः संकल्प पारित किया जाता है** कि आरबीआई, भारत सरकार, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी के अधीन अपेक्षित हो सकता है और अन्य सभी आवश्यक अनुमोदन, अनुमति, सहमति और / या संबंधित सांविधिक और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों और ऐसे नियमों, शर्तों और आशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदनों, अनुमतियों, सहमति और मंजूरी को प्रदान करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और बोर्ड द्वारा सहमति, प्राधिकरण और अनुमोदन के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयर पर ऑफर जारी करने और आवंटित करने के लिए बोर्ड द्वारा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए एक संस्थागत प्लेसमेंट प्रोग्राम (आईपीपी) के माध्यम से इक्विटी शेयरों के नये इश्यू द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIIIए के अनुसार जनता के पास ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या (जैसा कि प्रतिभूति संविदा (विनियम) ) नियम, 1957 में परिभाषित किया गया है यथा संशोधित है), ऐसे ऑफर के पूरा होने के तुरंत बाद जो बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 25% से अधिक न हो, जो ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन की तारीख से एक समान लाभांश पात्रता के क्लॉज के तहत लागू होगा।”

**“पुनः संकल्प पारित किया जाता है** कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपेक्षित या लगाये गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने की प्राधिकरण और शक्ति होगी, जहां बैंक के शेयरों को सूचीबद्ध किया जाता है या उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और जारी करने की मंजूरी, आबंटन और उनके लिस्टिंग स्वीकृति देने के समय ऐसे अन्य उपयुक्त अधिकारियों और बोर्ड द्वारा सहमति के अनुसार और इस संबंध में आगे कोई अनुमोदन बैंक के शेयरधारकों से जरूरी नहीं होगी।”

**“पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि** एनआरआई, एफआईआई और / या अन्य पात्र विदेशी संस्थाओं को नए इक्विटी शेयरों को जारी और आवंटन करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन हो सकता है, के रूप में लागू है, लेकिन अधिनियम के तहत निर्धारित की गई समग्र सीमा के भीतर हो सकता है।”

**“आगे यह संकल्प किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले कथित नए इक्विटी शेयर इंडियन बैंक (शेयर एवं बैटक) विनियम, 1999 यथा संशोधित तथा सांविधिक दिशानिर्देशों, जो लाभांश घोषणा के समय लागू हों, के अनुसार, लाभांश सहित, यदि कोई हो, हर तरह से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप बैंक में रहेंगे।

**“आगे यह संकल्प किया जाता है कि** इसके अलावा किसी भी निर्गम या इक्विटी शेयरों के आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, निवेशकों का वर्ग, जिसे प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि सहित सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्त निर्धारित करने के लिए बोर्ड को तथा उसे इस हेतु प्राधिकृत किया जाता है, बोर्ड जैसा उपयुक्त समझे वैसा अपने पूर्ण निरपेक्ष विवेकानुसार करे एवं सभी ऐसे कृत्य, कार्य, मामले तथा चीजें करे तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों तथा करारों को निष्पादित करे जैसे वे उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय हो और वह ऐसे किसी प्रश्नों, कठिनाइयों, संदेहों का निपटान

करने के लिए अनुदेश अथवा निदेश दे जोकि सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन, निर्गम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं तथा बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, फेरबदल, विलोपनों, अनुवृद्धियों को इसकी शर्तों के अनुसार अपने पूर्ण विवेकाधिकार में सदस्यों के किसी भी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने एवं प्रभावी बनाने हेतु तथा इस संकल्प के जरिए, बैंक को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में प्रयोग किया जा सकता है।”

**“आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को तथा उसे किसी भी लीड प्रबन्धक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों), रजिस्ट्रार (रों), लेखा परीक्षक (कों), तथा सभी ऐसी मध्यवर्ती संस्था (ए) / एजेंसी जो कि इस तरह के ईक्विटी / सेक्युरिटी में शामिल हैं अथवा संबन्धित हैं, के साथ ऐसी व्यवस्थाओं में प्रवेश करने एवं निष्पादित करने के लिए तथा ऐसी सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क अथवा ऐसे ही किसी माध्यम से पारिश्रमिक देने हेतु तथा ऐसी एजेंसियों में प्रवेश करने एवं ऐसी सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि को निष्पादित करने हेतु एतद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है।”

**“आगे यह संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, लीड प्रबन्धकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं तथा / अथवा बैंक द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ परामर्शानुसार बोर्ड तथा निवेशकों का वर्ग, जिसे प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), फेसवैल्यू, निर्गम पर प्रीमियम रकम और संबंधित या आकस्मिक मामलों, भारत में और / या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग सहित निर्गम (मों) के रूप (आकार) व शर्त अपने पूर्ण निरपेक्ष विवेकानुसार निर्धारित करने हेतु बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

**संकल्प किया जाता है कि** ऐसे शेयर जो अभिदत्त न हुए हो उन्हें बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से (कानून द्वारा अनुमत एवं आवश्यकतानुरूप उचित समझकर) निपटाया जा सकता है।

यह संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा अपने पूर्ण विवेक से आवश्यकतानुरूप उचित समझकर वांछनीय सभी कार्य, कर्म, मामलों पर कार्रवाही करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है एवं इसके साथ ही बोर्ड, शेयर / सुरक्षा के संबंध में उत्पन्न प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान और आवश्यकतानुरूप ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामलों और मुद्दों को अंतिम रूप दे सकते हैं एवं आवश्यक सभी दस्तावेजों और लेखों को निष्पादित कर सकते हैं। शेयरधारकों से इसके लिए कोई अतिरिक्त सहमति या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी अथवा यह समझा जाएगा कि इसके लिए शेयरधारकों ने स्पष्ट रूप से अपनी मंजूरी दे दी है।

यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक (कों) अथवा गठित निदेशकों की समिति को प्रदत्त, सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग या पूर्वोक्त संकल्पों को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

4. बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से दो निदेशकों का चुनाव करने के लिए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण) की धारा 9 (3) (प) के अनुसार अधिनियम, 1970 (एतदपश्चात् ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (एतदपश्चात् ‘योजना’ के रूप में संदर्भित) तथा इंडियन बैंक (शेयर एवं बैटकों) विनियम, 1999 (एतदपश्चात् ‘विनियम’ के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 के अनुवर्ती निर्मित और अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी संख्या 46 और 47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 23 मई 2011 की पत्र सं. डीडीबीओडी.बीसी सं. 95 / 29.39.001 / 2010-11 (एतदपश्चात् ‘आरबीआई अधिसूचना’ के रूप में संदर्भित) तथा भारत सरकार (जीओआई) के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. 16 / 83 / 2013-बीओ-1 दिनांक 03 सितंबर, 2013 एवं एफ सं.-16 / 51 / 2012-बीओ-1 दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के अनुसार, निम्नलिखित संकल्प पारित किया जाता है।

**संकल्प किया जाता है कि** योजना तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों तथा अधिसूचनाओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) (i) तथा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों को बैंक के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और इस प्रकार 1 जुलाई 2017 से इन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु बैंक के निदेशकों के रूप में चुना गया एवं वे नियत तिथि से तीन वर्ष के अवधि की समाप्ति तक यह पदभार संभालेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

किशोर खरात

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 08 मई, 2017

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## टिप्पणियाँ

### i. स्पष्टीकरण विवरण

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है।

### ii. प्रतिनिधि (प्राक्सी) की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, दिनांक जून 07, 2017 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

### iii. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉर्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक है, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा कक्ष, विंग-2-सी, दूसरा तल, सं.254-260, अब्दुल गणुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014, के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, दिनांक जून 07, 2017 को या उससे पहले, बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं करायी जाती है।

### iv. उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास-सह-बैलट पेपर पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह प्रविष्टि पास-सह-बैलट पेपर पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रतिनिधित्व धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची-सह-प्रविष्टि पास को बैठक के स्थान पर सौंप दें। किसी शेयरधारक के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची-सह-प्रविष्टि पास पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे। पोल के समय बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रवेशपत्रों को अभ्यप्रित किया जाए।

### v. बुक क्लोजर

शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की शेयर हस्तांतरण बहियाँ, मंगलवार, जून 06, 2017 से सोमवार, जून 12, 2017 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं), वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनार्थ एवं वार्षिक आम बैठक में लाभांश, यदि हो, के भुगतान की घोषणा की जाने पर उसकी अदायगी हेतु शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए बन्द रहेगी।

### vi. लाभांश का भुगतान :

शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित रूप से लाभांश का भुगतान ऐसे शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में सोमवार, जून 05, को उपलब्ध हैं और ऐसे शेयरधारकों के संबंध में जो निक्षेपागारों द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई सोमवार, जून 05, 2017 तक की सूची के अनुसार डीमेटोरियालायज्ड रूप से अपने शेयर धारित किए हुए हैं, किया जाएगा तथा वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के अन्दर लाभांश अधिपत्र डाक से भेज दिए जाएंगे/ लाभांश की राशि जमा कर दी जाएगी।

### vii. ट्रान्सफर्स :

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए अंतरण विलेखों के साथ शेयर प्रमाण पत्रों को नीचे पैरा (ix) में दिए गए पते में प्रेषित करना चाहिए।

### viii. लाभांश पत्रों/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) में बैंक खाते के विवरण :

बैंक, जहाँ भी संभव हो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) के जरिए शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश की राशि को जमा करेगा। जो शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयरों को धारित कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागी को अपने पते में अद्यतन परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरणों को (नया खाता संख्या यदि हो, बैंक एमआईसीआर और आईएफएस कोड नं. सहित) तत्काल प्रस्तुत करें ताकि एनईएफटी/ एनईसीएस के ज़रिए लाभांश की राशियों को जमा की जा सके। जिन शेयरधारकों ने डीमैट रूप से शेयरों को धारित किया हुआ है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी से संपर्क करें।

ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक रूप से रखे हुए हैं, वे, अपने रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा कक्ष को या रजिस्ट्रार को और नीचे पैरा (ix) में दिए गए पते पर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को सोमवार, जून 05, 2017 को या उससे पूर्व भेजें।

बैंक मात्र ऐसी परिस्थिति में लाभांश वारंट जारी करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है या भुगतान के अनुदेश विफल हो गए हैं या बैंक ने उसे अस्वीकृत कर दिया है। ऐसे मामलों में बैंक अनिवार्य रूप से ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशकों के बैंक खाते के विवरण मुद्रित करेगा। यदि कोई बैंक विवरण उपलब्ध नहीं है, तो बैंक द्वारा शेयरधारक को लाभांश वारंट नहीं भेजने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

एनईसीएस अधिदेश / बैंक अधिदेश का एक प्रारूप संलग्न है।

#### ix. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना, बैंक के शेयर अन्तरण एजेंट को निम्नांकित पते पर दें :

**मैसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड**  
(यूनिट : इंडियन बैंक)  
सुब्रमणियन बिल्डिंग, नं.1, क्लब हाउस रोड,  
चेन्नै 600 002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन और एनईसीएस अधिदेश के विवरण की सूचना सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी(गियों) को दें।

#### X. मतदान करने के अधिकार:

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पडनेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, तो सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने का हकदार है और बैठक में नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने का हकदार है।

#### xi. निर्वाचन में भागीदारी / विनिर्दिष्ट तारीख :

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर / सदस्यों के रजिस्टर/हितकारी स्वामियों के रजिस्टर में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा बही बन्दी की तारीख अर्थात् शुक्रवार, मई, 12, 2017 को कारोबार समय की समाप्ति पर दिए गए हैं, (जिसे अब से आंतरिक कट-आफ तारीख कहा जाएगा), वे केन्द्र सरकार को छोड़कर, शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात् वे नामित कर सकेंगे, निर्वाचन लड़ सकेंगे और मतदान कर सकेंगे।

#### xii. मतदान के लिए कट-ऑफ तारीख

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जिसे सोमवार, जून 05, 2017, अर्थात् कट-आफ तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, को रिमोट ई-मतदान / वार्षिक आम बैठक में कार्यसूची की मदों पर (शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन के अलावा) अपना मतदान करने के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।

#### xiii. शेयरधारकों से अनुरोध

ए) शेयरधारकों / प्रतिनिधित्व धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।

बी) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई भेंट/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा कक्ष को लिखें तथा यह आवेदन वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम एक हफ्ते के पहले बैंक में पहुंच जाना चाहिए ताकि प्रबंधन, जानकारी को तैयार रख सकें। शेयरधारक नोट करें कि जानकारी / स्पष्टीकरण सिर्फ वार्षिक आम बैठक में प्रदान किया जाएगा।

#### xiv. ई-वोटिंग

बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जरिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मदों के संबंध में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि सोमवार, दिनांक मई 08, 2017 की बैंक की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस (एजीएम नोटिस) में उल्लिखित कार्यसूची मदों एवं संकल्पों के संबंध में वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई-वोटिंग की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के स्थान पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

**इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 170511002 है ।**

(कार्यसूची के मदों 1, 2 तथा 3 के लिए)

**इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 170511001 है ।**

(कार्यसूची के मद 4 के लिए)

(ए) ई-मेल प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में :

- I. यदि आप डीमेट रूप से शेयर धारित करते हैं और किसी कंपनी के ईवीएसएन में मतदान देने के लिए आपने कभी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) में लॉग-आन किया है तो आपके वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाए।
- ii. ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) में लागू करें।
- iii. अपने वोट डालने के लिए "शेयरहोल्डर" टैब पर क्लिक करें।
- iv. अब ड्राप डाउन मेनु से "कंपनी नाम" के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला नंबर - "ईवीएसएन" का चयन करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
- v. अब उपयुक्त बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें :-

	डीमेट रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए	भौतिक रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए
यूसर आईडी	एनएसडीएल हेतु 8 कैरक्टर डीपीआईडी तथा उसके बाद 8 अंकोवाला ग्राहक आईडी सीडीएसएल हेतु 16 अंकोवाला हिताधिकारी आईडी	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर
पीएन *	ई-वोटिंग करते समय जब आपका सिस्टम मांगता है, तब आयकर विभाग, द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकोवाला अपना पीएन* दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक, दोनों के लिए लागू)	
डीओबी #	आपके डीमेट खाते में रिकार्ड किए अनुसार या कथित डीमेट खाते या फोलियो में कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार जन्म की तारीख को प्रविष्ट करें।	
लाभांश बैंक विवरण #	आपके डीमेट खाते में या कथित डीमेट खाते या फोलियो के लिए कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें।	

\* जिन सदस्यों ने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना पीएन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिफाल्ट नंबर का प्रयोग <Default number>, पीएन फील्ड में करें।

# लॉगइन करने हेतु कृपया किसी एक विवरण दर्ज करें।

vi. इन विवरणों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद "सबमिट" टैब को क्लिक करें।

vii. भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमेट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड बदलने" के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागू पासवर्ड को बदलें। नये पासवर्ड में कम से कम 8 कैरक्टर हों जिसमें से एक ऊपरी केस (बड़े अक्षर A से Z) में हो, एक निचले केस (छोटे अक्षर a से z) हों, एक अंक (0-9) हो और एक विशेष कैरक्टर हो (@#\$%&\*)। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमेट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सख्त सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।



viii. संबंधित ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसमें मतदान देने का विकल्प आप रखते हैं।

ix. वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु “हाँ/नहीं” का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का चयन करें। हाँ विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

x. आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो “संकल्प फाइल लिंक” पर क्लिक करें।

xi. आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो “कैन्सल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।

xii. आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट “पुष्टिकृत” (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।

बी. एजीएम की नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करनेवाले सदस्यों (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है/निक्षेपागार प्रतिभागी) या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले सदस्यों के मामले में :-

(i) कृपया मतदान देने हेतु ऊपर क्रमांक (ii) से क्रमांक (xii) का अनुकरण करें।

सी. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे <https://www.evotingindia.com> में लागू ऑन करें और अपने को पंजीकृत करा लें, जिसे खाते में वे नोट करना चाहते हैं, उसमें लिंक कर लें और अपना वोट दें। संवीक्षक द्वारा वोट का सत्यापन कर सकने के लिए वे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में बोर्ड संकल्प की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करें।

डी. आम बैठक में कार्यसूची के मदों 1, 2 तथा 3 के लिए ई-वोटिंग / पोल की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए कट-आफ की तारीख सोमवार, जून 05, 2017 होगी तथा कार्यसूची के मद 4 के लिए ई-वोटिंग / पोल की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ की तारीख शुक्रवार, मई 12, 2017 है। ईवीएसएन 170511002 और ईवीएसएन 170511001 में सभी कार्यसूची मदों के लिए वोटिंग की अवधि शुक्रवार, जून 09, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और इतवार, जून 11, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक रूप से या अमूर्त रूप से बैंक के शेयर कट-ऑफ की तारीख को, अर्थात् जून 05, 2017 या मई 12, 2017 जो भी संबंधित हो, को रखे हुए हैं, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को असमर्थित किया जाएगा। किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के बाद शेयरधारक को उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई. यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप “बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न” (एफएक्यू) या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) में उपलब्ध ई-वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) में हमें ई-मेल भेजें।

xv. बैठक में मतदान देना:

कार्यसूची मद के लिए मतदान, ई-वोटिंग या वोटिंग द्वारा किया जाएगा। जिन्होंने ई-वोटिंग का विकल्प नहीं दिया है, वे बैठक की तारीख को बैठक के स्थान पर वार्षिक आम बैठक में आयोजित किए जानेवाले वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान देने के हकदार होंगे।

कार्यसूची मदों पर विचार विमर्श करने के बाद उन मदों के संबंध में अध्यक्ष, वोटिंग के लिए आदेश देंगे। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये जानेवाले संवीक्षकों द्वारा वोटिंग आयोजित एवं पर्यवेक्षित किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें दिए जानेवाले बैलट पेपर में सूचित अनुदेशों के अनुसार अपना मतदान दे सकते हैं।

वोटिंग के परिणामों को ई-वोटिंग के परिणामों के साथ जोड़ने के बाद वोटिंग के परिणाम बैंक की वेबसाइट में घोषित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

xvi. मद सं.3 के लिए स्पष्टीकरण विवरण :

**पूँजीगत निधियाँ प्राप्त करना:**

बैंक, बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों का कारोबार कर रहा है। बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु.3000/- करोड़ (तीन हजार करोड़ रुपए मात्र) है और प्रदत्त ईक्विटी पूँजी रु.480.29 करोड़ है। वर्तमान में बैंक की ईक्विटी पूँजी में भारत सरकार की धारिता 82.10 प्रतिशत या रु.394.34 करोड़ है।

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जिसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 के लागू होने की तारीख को (अर्थात् अगस्त 22, 2014 को) पच्चीस

प्रतिशत से कम की सार्वजनिक शेयरधारिता है, तीन वर्षों की अवधि के अन्दर (अर्थात् अगस्त 22, 2017 तक) अपनी शेयरधारिता को सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ायेगी। आगे, वित्त मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि दिसंबर 2014 में केन्द्रीय मंत्री मंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, बैंक की पूंजी की आवश्यकता, स्टॉक का निष्पादन, तरलता, बाजार में उसकी मांग आदि के आधार पर और पूंजी और संसाधनों के सुदक्ष प्रयोग के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सरकार की धारिता को कम करते हुए फॉलो-अप पब्लिक ऑफर के जरिए या क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए पूंजी बढ़ाने व प्राप्त करने के विषय को अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

तदनुसार सार्वजनिक धारिता को 25 प्रतिशत के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने के लिए और वर्तमान बाजार की मांग को लिहाज में लेते हुए नोटिस की मद सं.3 में दर्शाए अनुसार ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में इसे विशेष संकल्प के रूप में अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

इश्यू की संप्राप्तियों का प्रयोग, बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और उसकी आस्तियों में, खासकर अर्थव्यवस्था में विकास के कारण मुख्य रूप से बैंक के ऋण एवं निवेश संविभाग में वृद्धि लाने के लिए तथा इश्यू के व्यय की पूर्ति करने सहित अन्य सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

बैंक के निदेशकों के मामले में माना जाएगा कि वे बैंक में अपनी शेयरधारिता के हद तक अपनी वैयक्तिक क्षमता में या भारत सरकार के नामिती के रूप में उसमें अभिरुचि रखते हैं।

#### xvii. मद सं. 4 के लिए स्पष्टीकरण विवरण :

##### शेयरधारक निदेशकों का चुनाव :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के प्रावधानों के अनुकरण में बैंक ने वर्ष 2007 में जनता को शेयर बेचने का प्रारंभिक प्रस्ताव (आईपीओ) किया था। अब बैंक की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी में से केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों की शेयरधारिता 17.90 प्रतिशत है। चूंकि आम जनता को जारी पूंजी, कुल शेयर पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक परन्तु 32 प्रतिशत से कम है, अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार दो शेयरधारक-निदेशकों को निर्वाचित करना अनिवार्य है।

वर्तमान शेयरधारक निदेशक श्री विनोद कुमार नागर और श्री श्रीराम रामचन्द्रन का कार्यकाल जून 30, 2017 को समाप्त होता है। निदेशक मंडल ने निर्णय किया है कि वार्षिक आम बैठक में निर्वाचन के जरिए कथित रिक्तियाँ भरी जाएँ।

अतः शेयरधारकों (केन्द्रीय सरकार के अलावा) को, विभिन्न एवं संबद्ध अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना में विस्तृत रूप से दी गई प्रक्रिया, जिसके संबंधित अंश/ सार नीचे दिए गए हैं, के अनुसार अपने नामांकनों के प्रस्तुत करने का अधिकार है। शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले नामांकनों की संवीक्षा या उसके पश्चात् वार्षिक आम बैठक में निर्वाचन के बाद दो निदेशकों को निर्वाचित किया जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक के संबंध में माना जाएगा कि उन्होंने जुलाई 01, 2017 से पदभार ग्रहण कर लिया है और वे तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

#### विधिक प्रावधान

निम्नलिखित सारणी में इस संबंध में प्रयोज्य विभिन्न अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचनाओं में दिए गए प्रावधान प्रस्तुत किये गये हैं:

अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949	धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आम निदेशकों पर प्रतिरोध</li> <li>➤ अपने किसी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध।</li> </ul>
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) तक  धारा 9 (3एबी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध</li> <li>➤ शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किये जानेवाले निदेशकों की संख्या।</li> <li>➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान।</li> <li>➤ किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित धारा 9 (3एए) ऐसे अन्य मानदण्डों की पूर्ति के साथ-साथ ईमानदारी और पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड पर आधारित उचित स्टेटस नहीं रखते, निदेशक के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता।</li> </ul>

	धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कथित अधिनियम की धारा 9 (3ए) और 9 (3एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार</li> <li>➤ विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता।</li> </ul>
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11ए खण्ड 11बी खण्ड 12(बी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ निर्वाचित निदेशकों के कार्यकाल की अवधि</li> <li>➤ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अनर्हता।</li> <li>➤ निदेशक का पद त्यागना।</li> <li>➤ निर्वाचित निदेशक को पद से निकालना।</li> <li>➤ निर्वाचित निदेशक के पद में होनेवाली आकस्मिक रिविट को भरना।</li> <li>➤ जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित निहित है (अभिरुचि रखते हैं), उसका प्रकटीकरण</li> </ul>
इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 यथासंशोधित	विनियम 10 विनियम 53 विनियम 55 विनियम 56 विनियम 57 विनियम 58 विनियम 59 विनियम 60 विनियम 61 विनियम 62	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का अनुप्रयोग</li> <li>➤ सामान्य बैठकों में मतदान देना</li> <li>➤ सामान्य बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक</li> <li>➤ शेयरधारकों की सूची</li> <li>➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन</li> <li>➤ नामांकनों की संवीक्षा</li> <li>➤ चुनाव विवाद</li> <li>➤ निर्वाचन अधिकारों का निर्धारण</li> <li>➤ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान</li> <li>➤ प्राक्सी</li> </ul>
भारिबैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी. सं.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी सं.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुकरण में	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए उचित एवं सुयोग्य मानदण्ड</li> </ul>
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी दिनांक 03 सितंबर 2013 का पत्र, संदर्भ एफ.सं.1618312013-बीओ.। और अंश-कालिक गैर- सरकारी निदेशक का चयन हेतु दि 01.06.2011 के दिशानिर्देश		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश</li> </ul>
भारिबैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 02 जून 2012 – (भारिबैंक/2012-13/79 डीबीओडी.सं. डीआईआर.बीसी.4/13.03.00/2012-13)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना।</li> </ul>
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं.एफ.सं.16/83/2013:बीओ.। दिनांक सितंबर 03, 2013 और पत्र एफ सं.16/51/2012-बीओ.। दिनांक अप्रैल 28, 2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) जो बैंकों के निदेशक मंडल में अंश कालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पर था।		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को अत्यधिक पारदर्शिता और लोक हित में निभाने के लिए शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन करने में उम्मीदवारों की “उचित एवं उपयुक्त” स्थिति के निर्धारण के लिए अंश कालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पर दिनांक जून 01, 2011 तथा अप्रैल 28, 2015 के दिशानिर्देशों (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) को ध्यान में रखा जाए।</li> </ul>
सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ विनियम 44 (1) – सूचीबद्ध उपक्रम अपने शेयरधारकों के लिए, सभी शेयरधारक संकल्पों के मामलों में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करें।</li> </ul>
कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014, मार्च 19, 2015 को यथा संशोधित रूप से		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ नियम 20 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया का विवरण देता है। नियम 20 (ii) की शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या आम बैठक में पोल के जरिए मतदान देने हेतु पात्रता के निर्धारण के लिए तारीख, आम बैठक से 7 दिनों के पहले न हों।</li> </ul>

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, योजना / विनियम तथा भारिबैंक की अधिसूचना सं.बीसी.सं.46 और 47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं बीसी.सं. 95 / 29.39.001 / 2010-11 दिनांक 23.05.2011 और कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. 16 / 83 / 2013-बीओ.। दिनांक सितंबर 03, 2013 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र एफ सं. 16 / 51 / 2012-बीओ.। दिनांक अप्रैल 28, 2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) से संबंधित अंशों का सार, बैंक की वेबसाइट [www.indianbank.in](http://www.indianbank.in) में लगाया जाएगा। नामांकन फार्मों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख, यथा शुक्रवार, मई 26, 2017 के पहले, कंपनी सचिव, इंडियन बैंक को उनके कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष में 254-260 अट्चै षण्मुगम सालें, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पते पर अनुरोध भेजे जाने पर इनके सार, इसकी आशयित उम्मीदवारों को ई-मेल से भी भेजे जाएंगे।

### 1. निर्वाचन में प्रतिभागिता :

ऐसे शेयरधारक, जिनका नाम कट-आफ तारीख, यथा शुक्रवार, मई 12, 2017 को एनएसडीएल / सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर / हितधारी स्वामी के रूप में पाया जाता है, वे केन्द्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात् वे नामित कर सकेंगे, निर्वाचन लड़ सकेंगे और मतदान कर सकेंगे।

### 2. (ए) बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो अधिनियम की धारा 9(3)(I) के अन्तर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होना चाहता है, उसकी निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए –

(ए) निम्नांकित मदों में से एक अथवा अधिक की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :-

- कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो।

बी) जो जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व कर सके; अथवा

सी) कृषकों, कामगारों और दस्तकारों के हित का प्रतिनिधित्व कर सके।

(बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार, जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसमें "उचित एवं उपयुक्त" होने की स्थिति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख (डीड ऑफ कोवनेंट) निष्पादित करने चाहिए तथा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

### 3. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अयोग्यताएँ :

ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य कर दिया जाएगा;

(ए) यदि कभी दिवालिया करार दे दिया गया हो अथवा उसने भुगतान रोक दिया हो अथवा उसने अपने लेनदारों के साथ भुगतान में समझौता कर लिया हो; अथवा

(बी) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसा घोषित कर दिया हो; अथवा

(सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो; अथवा

(डी) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) तथा (एफ) के अन्तर्गत नामित हुए प्रबन्ध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद सम्भालने के अतिरिक्त, यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ के किसी पद पर है, और

बी. यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना बीसी संख्या. 46 / 29.39.001 / 2007-08 और डीबीओडी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 के अनुसार "योग्य एवं उपयुक्त" नहीं पाया जाता है।

#### 4. शेयरधारकों की सूची :

संशोधित इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1999 के विनियम 56 की व्यवस्थानुसार शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात्, सीडी में) बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष में सोमवार, मई 22, 2017 से उपलब्ध होंगी। यह शेयरधारकों द्वारा चेन्नै में देय इंडियन बैंक के नाम से बने 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) के ड्राफ्ट के माध्यम से खरीदे जाने के लिए है। कथित सूची खरीदना चाहने वाले उम्मीदवार ऐसी वचनबद्धता दें कि सूची का प्रयोग चुनाव हेतु प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर सभी कार्यदिवसों को (रविवार और बैंक छुट्टी को छोड़कर) सोमवार से शनिवार तक (द्वितीय शनिवार और चौथा शनिवार को छोड़कर) पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक और निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अवै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 में निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि कोई शेयरधारक चुनिन्दा/आंशिक सूचना की एक प्रति अथवा कम्प्यूटर प्रिंट चाहता है तो उसे सूचना की प्रति दी जाएगी। इसके लिए 5/- रुपए प्रति 1000 शब्द अथवा उसके आंशिक भाग, जिसकी प्रति लेनी है, की दर से पहले भुगतान करना होगा।

#### 5. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन :

विनियमन के विनियम 57 की शर्तों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं.बीसी.सं. 46/29.39.001/2007-08 दि.01.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी सं.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दि.23.05.2011 और विभिन्न नियमों के अन्य पात्र प्रावधानों की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तभी वैध होगा, जब:

- (ए) वह निर्वाचन में भाग लेने के लिए शुक्रवार, मई 12, 2017 को जोकि परिकलन के लिए कट-ऑफ तारीख है, कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारित करनेवाले बैंक का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक तथा उनके निर्वाचित किये जाने पर अपने पदकाल के अंत तक न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर धारित करते हो।
- (बी) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख शुक्रवार, मई 26, 2017 को अधिनियम/ योजना/ विनियमन/भारिबैंक अधिसूचना के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहरा दिया गया हो।
- (सी) नामांकन लिखित रूप में तथा अधिनियम के अन्तर्गत निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अधिकृत कम से कम सौ शेयरधारकों द्वारा अथवा उनके विधिवत् नियुक्त अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, बशर्त कि शेयरधारक जो एक कम्पनी है, का नामांकन कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसा किया जाता है, वहाँ उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के उप महा प्रबंधक (लेखा), कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अवै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पते पर भेज दिया जाए और ऐसी प्रति इस प्रकार की कम्पनी की तरफ से नामांकन मानी जाएगी।
- (डी) नामांकन के साथ एक घोषणा होती है, जिसे उम्मीदवार किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा आशवासनों के सब-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करता/करती है कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन के लिए खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों के अन्तर्गत निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। साथ में उसका विधिवत् हस्ताक्षरित निजी विवरण (बायोडाटा) होता है, जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि ऐसे विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और यह भी वचन देना होता है कि ऐसी घटनाओं की पूर्ण जानकारी, जो घोषणा के पश्चात् सूचना से सम्बन्धित हैं, यथाशीघ्र बैंक को देगा/देंगी।
- (ई) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियमन द्वारा निर्धारित और अनुलग्नक प्रारूप के अनुसार है (प्रारूप बैंक की वेबसाइट [www.indianbank.in](http://www.indianbank.in) में भी उपलब्ध है)
- (एफ) वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं.डीबीओडी.सं.बीसीएनओ.46/29.39.001/2007-08 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र एफ.सं.16/51/2012.बीओ.। दिनांक अप्रैल 28, 2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) के अंतर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहराया गया हो।

#### 6. नामांकन फार्मों का प्रस्तुतीकरण :

बैंक के निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ना चाहने वाले शेयरधारक जो केन्द्रीय सरकार से अन्य शेयरधारक है, निम्नलिखित को प्रस्तुत करें :

- ए) विधिवत भरा गया घोषणा प्रपत्र।
- बी) चुनाव में भाग लेने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन।
- सी) वैयक्तिक सूचना, घोषणा और वचनबद्धता जिसके साथ संबंधित प्रलेख, प्रशंसापत्र अर्थात् बायो-डाटा, शैक्षित योजनाएं, अनुभव आदि के लिए प्रमाणपत्र संलग्न किये गये हों।

उपर्युक्त सभी प्रलेख नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में हों अर्थात् शुक्रवार, मई 26, 2017 को अपराह्न 4.00 बजे या उसके पहले किसी कार्य दिवस को, सील बंद लिफाफे में उप महा प्रबंधक (लेखा), इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पास प्रस्तुत कर दें।

कथित नामांकन फार्म और अन्य प्रलेख सभी पहलुओं में पूर्ण हों, वरना नामांकन को अस्वीकार किया जा सकता है।

#### 7. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

- (i) नामांकनों के प्राप्त होने की नियत तारीख के पश्चात् पहले कार्य दिवस सोमवार, मई 29, 2017 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे रद्द कर दिया जाएगा।
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2007 को जारी किए गए "योग्य एवं उपयुक्त" होने के अनुदेशों तथा 01.06.2011 को या समय-समय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में गैर सरकारी निदेशकों के नामांकन हेतु सामान्य नीति के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति भी नामांकनों की जांच करेगी।
- (iii) नामांकनों की जांच करते समय या बोर्ड की नामांकन समिति की सलाह के अनुसार बैंक उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अधिक जानकारी या प्रलेख मांग सकता है।
- (iv) यदि निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के लिए मात्र दो वैध नामांकन हैं तो नामित हुए ऐसे उम्मीदवारों को उसी समय निर्वाचित हुआ मान लिया जाएगा और उसके नाम तथा पते इस प्रकार निर्वाचित हुए के रूप में प्रकाशित कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कार्यसूची की मद सं.4 को वार्षिक आम बैठक में नहीं लिया जाएगा। नए निर्वाचित हुए निदेशक 01 जुलाई 2017 से कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (v) निर्वाचन होने की स्थिति में यदि वैध नामांकनों की संख्या दो से अधिक है तो निर्वाचन में अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित हुआ मान लिया जाएगा और उनके नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिए जाएंगे।

#### 8. वोटिंग की प्रक्रिया :

पूर्व में सूचित किये अनुसार, बैठक के आयोजन के संदर्भ में नोटिस में टिप्पणियों में बताए अनुसार बैठक में कार्यसूची मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा।

इसके पश्चात मतों की गणना की जाएगी और अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी जो इस प्रयोजनार्थ बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता है और इसका पर्यवेक्षण, केन्द्रीय सरकार के एक नामिती द्वारा किया जाएगा जो अब्सर्वर की भूमिका निभाएंगे।

#### 9. नामांकन वापस लिया जाना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह गुरुवार, जून 08, 2017 को बैंक के बन्द होने के समय पहले अर्थात् 5.00 बजे के पहले, किसी भी समय पत्र या फ़ैक्स भेजकर ऐसा कर सकता है।

#### 10. विवाद :

किसी विवाद होने पर उसका निपटान इंडियन बैंक (शेयर एवं बैंक) विनियमन, 1999 के विनियम 59 के अनुसार किया जाएगा।

#### 11. सार :

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के संगत अंशों का सार संलग्न है।

#### 12. निदेशकों का स्वत्व :

बैंक के निदेशकों को अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशकों को जो अपने नामांकन दाखिल करते हैं, उपर्युक्त कारोबार की मदों में सम्बद्ध अथवा हितबद्ध माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै  
दिनांक : 08 मई, 2017

किशोर खरात  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वर्ष 2016-17 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट अलग से भेजी जा रही है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां लाएं।

## निदेशकों का निर्वाचन – संबंधित अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली, 1999 के संबंधित विनियमों को शेरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

### 1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

#### सामान्य निदेशकों का निषेध – धारा 16(1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक मंडल में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

#### 1. ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध – धारा 20

1) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कंपनी

(ए) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा

(बी) निम्नलिखित को या उसकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी –

(i) अपने किसी निदेशक

(ii) किसी भी फर्म जिसमें कोई निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या

(iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप में हितबद्ध हो, अथवा

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।

2) अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था, उस तिथि को उपधारा(1) के खंड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित की गई हो, वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किए जाने चाहिए। शर्त है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त होने पर लागू नहीं होगी।

3) उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।

4) जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को उस ऋण की चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उसने उक्त तिथि को अपना पद त्याग दिया हो।

#### व्याख्या—इस धारा में

(ए) “ऋण या अग्रिम” में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे रिजर्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होनेवाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय, तरीके एवं परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख किया हो।

(बी) “निदेशक” से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।

5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई लेन-देन ऋण है या अग्रिम है, तो मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

## 2. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

### मतदान अधिकार पर प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ई) की शर्तों में तदनुरूपी नये बैंक के कोई शेयरधारक जो केन्द्रीय सरकार से अन्य हो, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक भारित करता हो, इस संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

### निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3) (i) : धारा 3 की उपधारा (2 ख) के खण्ड (ग) के अंतर्गत जारी की गई पूंजी :

- (i) कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक
- (ii) कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक किंतु 32 प्रतिशत से अधिक नहीं, दो निदेशक
- (iii) कुल प्रदत्त पूंजी के 32 प्रतिशत से अधिक, तो तीन निदेशक;  
ऐसा निर्वाचन, केन्द्रीय सरकार के अलावा, अन्य शेयरधारकों को अपने में से करना है।

बशर्ते कि इस खण्ड के अधीन ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर इस योजना में विशिष्ट रूप से दिए गए अनुसार खण्ड (एच) समसंख्या में निदेशकों को सेवानिवृत्त होना चाहिए।

बशर्ते कि आगे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम एवं वित्तीय संस्था कानून (संशोधन अधिनियम 2006) के आरंभ होने पर या उसके पहले तदनुरूपी किसी नये बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या के मामले में उपखंड 1 या उपखंड 2 उपखंड 3 में निर्दिष्ट निर्वाचित निदेशकों की संख्या से अधिक हो, यथास्थिति निदेशकों की ऐसी अधिक संख्या, जो ऐसे आरंभ के पहले निर्वाचित किए गए, ऐसी रीति में सेवानिवृत्त होंगे जैसा कि योजना में निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसे निदेशक अपने कार्यावधि के अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

9 (3 ए) कथित खण्ड (i) के अधीन निर्वाचित निदेशक को

(ए) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में नये बैंक के लिए उपयोगी हो।

(बी) निवेशकों के हित का प्रतिनिधित्व करता है या

(सी) कृषकों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है।

9(3एए) उप धारा 3 (ए) के प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम या अन्य कानून जो अभी प्रचलित हो, इसके विरुद्ध किसी बात के होते हुए भी उप धारा 3 खंड (i) के तहत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक उसका पिछला रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंड जोकि रिजर्व बैंक इस संबंध में समय समय पर अधिसूचित करता हो, के आधार पर योग्य एवं उचित हैसियत का व्यक्ति न हो।

9(3एबी) उप धारा 3(एए) के तहत जारी की गई अधिसूचना में, रिजर्व बैंक, यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि, "उचित व योग्य" हैसियत निर्धारित करने वाला प्राधिकारी कौन है, यह निर्धारण कैसा किया जाएगा, निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी और अन्य मामले जो आवश्यक या प्रासंगिक माने जाएंगे।

9(3बी) जहां रिजर्व बैंक का यह मत हो कि तदनुरूपी नये बैंक के कोई निदेशक जो उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वाचित हो, उप धारा 3(ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, ऐसे निदेशक और बैंक को उनकी सुनवाई के लिए समुचित अवसर देने के बाद आदेश के जरिए ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा 3(ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षा को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक सामान्य बैठक में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक रूप से निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया माना जाता है।

### निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

धारा 13 (2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नये बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेंगे।



### 3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970

#### निर्वाचित निदेशक का पद-काल

##### खंड 9 (4)

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और पुनर्निर्वाचित होने के लिए भी पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा निदेशक नियमित रूप से अपने कार्यालय में 6 वर्ष से अधिक अवधि तक अपने पद पर बना नहीं रह सकेगा।

#### निदेशकों की अनर्हता

##### खंड 10

निम्नलिखित तरह के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित और निदेशक बनने के अयोग्य हैं :

- (ए) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया है, अथवा
- (बी) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया है, अथवा
- (सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनायी है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा
- (डी) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है किंतु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

#### निदेशक के पद का रिक्त होना

##### खंड 11

1. यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित हो तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड (बी) या खण्ड (सी) या खण्ड (डी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप से सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
3. उपर्युक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ड) और (च) में संदर्भित निदेशक का पद, उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
4. जहाँ निर्वाचित निदेशक के अलावा, निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

#### निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

##### खण्ड 11 ए:

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेरधारक ऐसे सभी शेरधारकों द्वारा धारित शेर पूंजी का आधा से कम भाग धारित करने वाले शेरधारकों के बहुमत से संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा(3) के, खण्ड(1) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

#### निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना

##### खण्ड 11 बी :

- (1) जहाँ किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी बशर्ते कि जहाँ रिक्ति की अवधि छः महीने से कम हाने की संभावना है, वहाँ शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।
- (2) उप खण्ड(1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यालय की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

#### निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा :

##### खण्ड 12 (8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखनेवाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उपखण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह –

- (i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का I) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत से अनधिक प्रदत्त पूंजी धारित करनेवाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के तहत निदेशक हो।

#### 4. इंडियन बैंक (शेयर एवं बँडके) विनियम, 1999

संयुक्त धारकों के हकों का प्रयोग

##### विनियम 10 :

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में होता है, तो मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिसों को तामिल करना और इंडियन बैंक से संबंधित सभी या कोई अन्य मामलों का संबंध है, रजिस्टर में जिस शेयरधारक का नाम प्रथम स्थान पर है, उसे ही उन शेयरों का एक धारक माना जाएगा। इसके लिए अपवाद केवल शेयरों का अंतरण होगा।

##### आम बैठक में चुने जानेवाले निदेशक :

##### विनियम 55 :

- (i) धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन निदेशक का चुनाव, रजिस्टर में केन्द्र सरकार से अन्य जो शेयरधारक हैं, उनके द्वारा व उन्हीं में से किसी का इंडियन बैंक की आम बैठक में किया जाएगा।
- (ii) जहाँ किसी आम बैठक में किसी निदेशक का चुनाव करना है, तो उसकी नोटिस बैठक बुलानेवाली नोटिस में शामिल की जानी चाहिए। ऐसी हर नोटिस में इस बात को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कितने निदेशक चुने जाते हैं और रिकितियों के ब्यौरे भी दिए जाने चाहिए जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किया गया है।

##### शेयरधारकों की सूची :

##### विनियम 56

- (i) इन विनियमों के विनियम 55 के उप-विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव के उद्देश्य हेतु, उन शेयरधारकों की, जिनके द्वारा निदेशक चुना जाता है, एक सूची बनाई जाएगी।
- (ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या एवं शेयरों के क्रमांक साथ ही शेयरों की पंजीकृत करने की तारीखें और उसे बैठक की तारीख जिस दिन चुनाव होना है तारीखें और जिस बैठक में चुनाव होने जा रहा है, उस बैठक के लिए तय तारीख पर वे जितने मतों के हकदार हैं उन मतों की संख्या अंतर्विष्ट होनी चाहिए और सूची की कापियाँ प्रधान कार्यालय को आवेदन करने पर बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानेवाली कीमत पर बैठक की तारीख से कम से कम 3 सप्ताह पहले खरीद के लिए उपलब्ध होगी।

##### चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन :

##### विनियम 57 :

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब,
  - (ए) वह इंडियन बैंक के न्यूनतम 100 शेयरों का धारक हैं।
  - (बी) वह नामांकन की प्राप्ति की आखिरी तारीख को अधिनियम के अधीन या योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अनर्ह नहीं हो।
  - (सी) उसने बैंक के जितने शेयर धारण किए हैं, उनके संबंध में की गई सभी माँगों का भुगतान किया हो, चाहे उन्हें उसे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया हो, तथा भुगतान की माँग की पूर्ति के लिए तय तारीख तक किया हो।
  - (डी) यह नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अधीन निदेशकों के चुनाव के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके द्वारा विधिवत नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, परंतु यदि यह नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसे किया जाता है, वहाँ उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस संकल्प की सत्य प्रति इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाना चाहिए।
  - (ई) नामांकन में/के साथ उम्मीदवार की घोषणा अंतर्विष्ट संलग्न होनी चाहिए जो उम्मीदवार द्वारा किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरन्सेस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित हो, घोषणा यह हो कि वह नामांकन स्वीकारता है और चुनाव के लिए खड़ा होने का इच्छुक हो, और यह भी कि उसे या तो अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक बनने के लिए अपात्र न किया गया हो।
- (ii) यह नामांकन तभी वैध होगा, जब वह सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुआ हो और सभी बातों में पूर्ण हो और जो बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में पहुँचा हो।

## नामांकनों की संवीक्षा :

### विनियम 58 :

- (i) नामांकन की प्राप्ति के लिए तय तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे अस्वीकृति का कारण रिकॉर्ड करते हुए अस्वीकृत किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन होता है, तो ऐसे नामांकित उम्मीदवार को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता उस तरह निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे प्रसंग में, चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि वह बैठक केवल उपरोक्त चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई थी, तब वह निरस्त होगा।
- (ii) चुनाव किए जाने के प्रसंग में, यदि चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकनों की संख्या अधिक है, जिस उम्मीदवार के लिए बहुमत प्राप्त होता है, उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- (iii) विद्यमान रिक्ति के लिए निर्वाचित निदेशक कार्यभार ग्रहण किया गया माना जाएगा जिस तारीख को निर्वाचित होता है या जिस तारीख को निर्वाचित माना जाता है, उस तारीख के ठीक बाद की तारीख को उसने कार्यभार ग्रहण किया माना जाएगा।

## चुनाव विवाद :

### विनियम 59 :

- (i) निर्वाचित माने गए निर्वाचित घोषित व्यक्ति के पात्र या अपात्र होने के संबंध में या निदेशक की चुनाव की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होगा, तो उम्मीदवार बनने का इच्छुक व्यक्ति या ऐसे चुनाव में मत देने का हकदार शेरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख के सात दिनों के भीतर इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसकी लिखित सूचना देगा और उक्त सूचना में उन आधारों के पूरे ब्यौरे देगा, जिनके कारण वह चुनाव की वैधता पर संदेह करता है या विवाद करता है।
- (ii) उप-विनियम (i) के अधीन सूचना की प्राप्ति के बाद, इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को उसी समय निर्णय के लिए उप समिति के समक्ष, प्रस्तुत करेंगे जिसके सदस्य प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के अधीन नामित कोई दो निदेशक होंगे।
- (iii) उप-विनियम (i) में संदर्भित समिति आवश्यक महसूस की गई पूछताछ करेगी और यदि वह पाती है कि किया गया चुनाव वैध चुनाव है, तो वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी और यदि वह पाती है कि यह चुनाव वैध चुनाव नहीं था, तो वह पूछताछ के प्रारंभ से तीस दिनों के भीतर ऐसा आदेश देगी और ऐसे निदेश देगी जिसमें समिति को न्यायोचित लगनेवाली परिस्थितियों में नये चुनाव आयोजित करना अंतर्विष्ट होगा।
- (iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश या निदेश निर्णायक होगा।

## शेरधारकों का मतदान हक :

### मतदान हकों का निर्धारण :

### विनियम 60 :

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, आम बैठक की तारीख के पहले रजिस्टर को बंद करने की तारीख को शेरधारक के रूप में पंजीकृत हरेक शेरधारक, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर दिये जानेवाले एक मत का हकदार होगा और यदि मतदान होता है तो वह अपने द्वारा धारित हर शेर के लिए एक मत का हकदार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2 ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, उपरोक्त प्रकार से मतदान करने के लिए हकदार शेरधारक जोकि कंपनी नहीं है, व्यक्तिशः या प्रॉक्सी के ज़रिए उपस्थित है अथवा यदि वह कंपनी है तो उसने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थिति दर्ज की है, तो वह हाथ उठाकर एक मत डालने का हकदार है और यदि चुनाव है तो वह अपने द्वारा धारित हरेक शेर के लिए एक मत का हकदार है, जैसा कि यहाँ ऊपर उप-विनियम (i) में बताया गया है।  
स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए, “कंपनी” का अर्थ है निकाय कार्पोरेट
- (iii) आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के हकदार बैंक के शेरहोल्डर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेरधारक हो या न हो) प्रॉक्सी के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या मत देने हेतु नियुक्त कर सकता है लेकिन ऐसे नियुक्त व्यक्ति को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

## प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

### विनियम 61 :

- (i) केन्द्र सरकार या कंपनी रहनेवाला शेरधारक, संकल्प के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को शेरधारकों की आम बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में “विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि” के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जोकि उसे इंडियन बैंक के व्यक्तिगत शेरधारक रहने पर मिलती। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों को दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में से कोई एक व्यक्ति केन्द्र सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

- (ii) कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इंडियन बैंक के शेयरधारक की बैठक में तभी उपस्थित रहेगा या मतदान करेगा जब उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रतिलिपि, जिसे उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा "सत्य प्रति" के रूप में प्रमाणित किया गया हो, उस बैठक की तय तारीख के चार दिन पूर्व इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की गयी हो।

### भारतीय रिज़र्व बैंक के ठीक और उचित मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3 ए ए) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडी बीसी सं.46/29.39.001/2007-08 जारी की है, जिसमें बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अधीन बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति के "ठीक एवं उचित" होने संबंधी पूरा किये जानेवाले विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं।

### इन दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

1. "ठीक एवं उचित" हैसियत का निर्णय करने के लिए प्राधिकार, पद्धति / क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार हैं :

#### (ए) प्राधिकार :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशकों की (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) एक "नामांकन समिति" गठित करना आवश्यक है। निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक का नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। बैठक में उपसमिति के सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष सहित, कम से कम तीन होनी चाहिए। पहले से नामित किसी निदेशक की अनुपस्थिति की स्थिति में, निदेशक मंडल आगामी बैठक में उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय, बोर्ड उसकी अवधि भी तय कर सकता है।

#### (बी) पद्धति एवं क्रियाविधि

अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति/विद्यमान निर्वाचित निदेशकों के "ठीक एवं उचित" हैसियत निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को उचित अध्यवसाय वाली प्रक्रिया का अवलंब करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, बैंकों को विद्यमान निर्वाचित निदेशकों से / चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करनेवाले व्यक्तियों से निर्धारित फार्मेट में आवश्यक सूचना और घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। नामांकन समिति को चुनाव किए जानेवाले उम्मीदवार के मामले में नामांकन की स्वीकृति की अंतिम तारीख से पहले समिति की बैठक बुलानी चाहिए और तय करना चाहिए कि उस व्यक्ति की उम्मीदवारी को नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और यदि मतदान किया गया हो तो विद्यमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के मामले में उसे नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समिति को उसी उम्मीदवार की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय लेना चाहिए और जहाँ जरूरी हो उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्तियों से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदर्शित आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, सूचना मांगनी चाहिए।

#### (सी) मानदंड

नामांकन समिति को विद्यमान निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों का "ठीक एवं उचित" हैसियत निम्नलिखित स्थूल मानदंडों के आधार पर तय करनी चाहिए :

- (i) शैक्षिक अर्हता
- (ii) अनुभव एवं विशेष
- (iii) ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड के गैर-अनुपालन के कारण विद्यमान निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में कर्तव्य निभाने में बाधा आएगी। आगे, उम्मीदवार के किसी प्राधिकरण के / विनियामक एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में आने के कारण या दिवालियापन या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के ऋण की चुकौती में चूक के कारण उसका बैंक के बोर्ड पर निदेशक होना गलत और अनुचित होगा।

#### (डी) अन्य मामले

यह वांछनीय है कि जनहित की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचित निदेशक प्रसंविदा विलेख निष्पादित करता है और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को नवीकृत करता है (जैसा कि डॉं गांगुली समूह ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 जून 2002 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं. बीसी 116/08.139.001/2001-02 द्वारा सिफारिश की है।

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशक हर वर्ष 31 मार्च एक सामान्य घोषणा प्रस्तुत करें कि उन्होंने जो सूचना पहले से प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके आवश्यक व्यौरे निदेशकों द्वारा तत्काल प्रस्तुत किए गए हैं और यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं तो नामांकन समिति को फिर से उचित अध्यवसाय की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए और निदेशक के "ठीक एवं उचित" हैसियत की पुनः जाँच करनी चाहिए।

**अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक के चुनाव संबंधी दिशानिर्देश – भारत सरकार के दिनांक 01 जून 2011 के दिशानिर्देश, जो भारत सरकार के दिनांक 03 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन एवं संशोधित एमओएफ पत्र संख्या एफ सं.16 / 51 / 2012-बीओआई दिनांक 28 अप्रैल 2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) में उपलब्ध है।**

**सामान्य**

1. संगत अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर नामांकन किए जाने चाहिए।
2. नामितियों की उपयुक्तता का निर्धारण उनकी औपचारिक अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रेक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का निर्धारण उनके आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण की चुकौती के लिए की गई नागरी कार्रवाई, किसी वृत्तिक निकायों में प्रवेश की मना या उससे निष्कासन, विनियामकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध या पूर्ववर्ती संदेहास्पद व्यवसाय व्यवहार आदि के आधार पर किया जाना चाहिए।

**अनुभव**

1. इस पद के लिए सामान्यतः विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण अथवा कृषि, ग्रामीण अर्थ बैंकिंग, सहकारी, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त श्रेष्ठ व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। किसी उद्योग में 20 साल तक वरिष्ठ पद पर आसीन एवं संबद्ध क्षेत्र (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया हो जिसने एक असफल संगठन में बदलाव लाया हो।) में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर आसीन अधिकारियों के लिए 10 वर्ष एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी, जिनकी सेवानिवृत्ति का एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। जिस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सीएमडी / ईडी पद से कोई सेवानिवृत्त हुआ हो, उसे उस बैंक के बोर्ड में एनओडी पद देने पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सेवा पर रहे सीएमडी को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक के बोर्ड के एनओडी के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाले प्रमुख प्रबंधन / बैंकिंग संस्थान के निदेशक / शिक्षाविद एवं प्रोफेसरर्स।
4. 20 साल के अनुभव वाले (लेखा अनुभव को छोड़कर) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी वरीयता दी जाएगी।
5. हालांकि असाधारण मामलों में, योग्यता के आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में छूट दिया जा सकता है।
6. यथा संभव यह प्रतिनिधित्व महिला एवं एससी / एसटी / ओबीसी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है।

**शिक्षा**

1. नामित निदेशक कम से कम अधिमानतः व्यापार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ स्नातक होना चाहिए।

**आयु :**

1. खोज समिति द्वारा सिफारिश की तारीख तक निदेशक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**कार्य अनुभव :**

1. व्यावसायिकों / शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

**अयोग्यता :**

1. किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी में, किसी भी संवर्ग में जो पहले से निदेशक है, उन्हें किसी दूसरे बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी में बोर्ड के एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. भाड़ाक्रय, वित्तीयन, निवेश, पट्टा और पैरा-बैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर बैंकों / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं हो।
3. किसी बैंक के / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड पर विगत में किसी संवर्ग में दो पदावधियों या छह वर्षों, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक रह चुके व्यक्ति को उस बैंक / वित्तीय संस्थान के बोर्ड पर गैर-सरकारी निदेशक के रूप पुनः नामित नहीं किया जा सकता।

**कार्यकाल :**

यदि कोई एनओडी पहले से ही किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिज़र्व बैंक / बीमा कंपनी के बोर्ड का छह वर्षों तक (लगातार या अंतरिम रूप से) शेरधारक – निदेशक रहा हो, तो उन्हें किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिज़र्व बैंक / बीमा कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।



कॉर्पोरेट कार्यालय,  
254-260, अक्टू षण्मुगम सालै,  
रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

### नामांकन फार्म

सेवा में  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय  
254-260, अक्टू षण्मुगम सालै  
रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

प्रिय महोदय,

### निदेशकों का निर्वाचन

आपकी दिनांक..... की नोटिस के संदर्भ में मैं ,....., मई 12, 2017 को शुक्रवार, दिन को, अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने के रिकार्ड के दिन को इंडियन बैंक के रु.10/- प्रत्येक शेयर के ..... ईक्विटी शेयर धारित करनेवाला शेयरधारक, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती....., सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री....., निवासी.....को जून 12, 2017 को आयोजित की जानेवाली शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले इंडियन बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के लिए नामित करता / करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज्ड नहीं किया है तो)	
डीपी आईडी सं और क्लाइंट आईडी नं (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज्ड किया गया है)	
स्थान	
दिनांक	

### टिप्पणी:

- यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया गया है तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर में, जिस बैठक में ऐसा संकल्प पारित किया गया था, उसकी अधिप्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए।
- उम्मीदवारी को नामित करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- यदि उपर्युक्त स्तंभों में से किसी स्तंभ को रिक्त छोड़ दिया गया है या विवरणों को गलत पाया जाता है तो नामांकन को अस्वीकार किया जाएगा।

### घोषणा

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ..... निवासी .....एतद्वारा  
पुष्टिकृत करता/करती हूँ कि :

- ए. मैं, शुक्रवार, मई 12, 2017, जोकि निर्वाचन में भाग लेने के लिए रिकार्ड की तारीख है, को बैंक के ..... ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने पर, कार्यकाल के अंत तक शेयर धारण करने का वचन देता/देती हूँ, और
- बी. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या ..... (विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा) में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है तथा मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 ए की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, मजदूरों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसके प्रमाण के रूप में मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण-पत्र\* प्रस्तुत करता/करती हूँ, और
- सी. मैं ..... नंबरवाले नामांकन को स्वीकार करता/करती हूँ, और
- डी. मैं **इंडियन बैंक** के निदेशक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु तैयार हूँ।
- ई. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इंडियन बैंक (शेयर एवं बैटक) विनियमन, 1999 तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ और
- एफ. मैं न ही किसी प्रकार के लाभार्थ पदधारी हूँ, न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित रूप से किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ।
- जी. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है अथवा मेरे द्वारा किए गए भुगतान को नकारा नहीं गया अथवा लेनदारों के साथ नहीं जोड़ा गया, और
- एच. मैं कभी दिमागी रूप से अस्वस्थ नहीं रहा एवं इसकी पुष्टि सक्षम न्यायालय द्वारा की गई है और मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया और एक आपराधिक अदालत द्वारा ऐसे किसी कृत्य हेतु दोषी नहीं ठहराया गया, जो नैतिक अधर्म का आह्वान करता है, और
- आई. मैं किराया-खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूँ और मैं एमपी / विधायक / एमएलसी / स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ और
- जे. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी उद्घोषित नहीं किया गया है, और
- के. मैं किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक या बीमा कंपनी में विगत वर्षों में किसी भी संवर्ग में दो पदावधियों के लिए अथवा छः वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, सतत या खंडित रूप से निदेशक के रूप में नहीं रहा हूँ; और
- एल. मैं विगत में इस बैंक में किसी भी संवर्ग में दो पदावधियों के लिए अथवा छः वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, सतत या खंडित रूप से बैंक के निदेशक के रूप में नहीं रहा हूँ; और
- एम. बैंक में निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर मैं उसी समय बैंक के साथ व्यावसायिक संबंधों को खंडित कर दूँगा और निदेशक के रूप में मेरी कालावधि के दौरान और उसके बाद दो वर्षों तक बैंक के साथ कोई भी व्यावसायिक संबंध आरंभ नहीं करूँगा/करूँगी, और
- एन. इस घोषणा के बाद इस सूचना से संबंधित कोई भी घटनाएँ घटित होती हैं तो मैं यथाशीघ्र बैंक को उसकी पूरी सूचना देने और बैंक में निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन के बाद प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ, और
- ओ. मैं बैंक के निदेशक के रूप में रहने तक, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, यथा संशोधित के अनुरूप प्रावधानों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ, और

पी. मैं नीचे मेरे अन्य कंपनियों / बैंकों में वर्तमान तथा विगत निदेशक पद के ब्यौरे देता / देती हूँ :

कंपनी, बैंक आदि का नाम	निदेशक पद के ब्यौरे, जैसे कालावधि, समय

मैं, संलग्न वैयक्तिक जानकारी, घोषणा तथा वचन पत्र में अपने व्यक्तिगत ब्यौरे संलग्न कर रहा / रही हूँ जोकि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूरी तरह से सही व संपूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज़्ड नहीं किए हैं तो)	
डीपी आईडी नं और क्लाइंट आईडी नं (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज़्ड नहीं किए हैं तो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं

.....

न्यायाधीश, मेजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर।

\*जो लागू न हो उसे काट दें।



कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260 अद्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

**उम्मीदवार का वैयक्तिक विवरण**  
**बैंक का नाम: इंडियन बैंक**

यहाँ पासपोर्ट  
आकार का  
फोटो चिपकाएँ

..... की स्थितिनुसार संलग्नकों सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा व वचन		
<b>I</b>	<b>उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण</b>	
ए.	पूर्ण नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा नाम)	
बी.	जन्म की तारीख	
सी.	शैक्षिक अर्हता (शैक्षणिक/शैक्षिक ) (कृपया अर्हता के साक्ष्य में स्व अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)  (शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हता) (कृपया अर्हता के साक्ष्य में स्व अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)	
डी.	संबन्धित पृष्ठभूमि और अनुभव (बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) की आवश्यकतानुसार) (कृपया बैंक के निदेशक के रूप में अपना अनुभव बताएं)	
ई.	स्थायी पता	
एफ.	वर्तमान पता	
जी.	ईमेल पता दूरभाष सं (लैंडलाइन) दूरभाष सं (मोबाइल)	
एच.	1. आय कर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या (कृपया पेन की प्रतिलिपि संलग्न करें)  2. आय कर अधिनियम के तहत वैयक्तिक कर विवरण भरने का आयकर सर्कल / डिवीजन का नाम व पता	
आई.	संबन्धित ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) को देखें)	
जे.	बैंक के निदेशक के संबंध में अन्य कोई सूचना	
<b>II</b>	<b>अभ्यर्थी का संगत संबंध</b>	
ए.	उम्मीदवार के संबंधी की सूचना जो बैंक से संबन्धित हो (कंपनी नियम (परिभाषा ब्यौरों संबंधी विनिर्देश) 2014 के नियम 4 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए के अनुरूप) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (77)	
बी.	उन उपक्रमों की सूची जिनमें उम्मीदवार की रुचि हो (कृपया कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए), धारा 300 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें)	
सी.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुभाग 5 (एनई) के अर्थानुसार, उन उपक्रमों, प्रस्तावित व विद्यमान की सूची जिनमें उम्मीदवार की ठोस अभिरुचि हो।	
डी.	बैंक का नाम जिसमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य रहा हो (जिस अवधि में सदस्य रहे उसका विवरण दिया जाए)	

ई.	उम्मीदवार या क्र. संख्या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम द्वारा वर्तमान में बैंक से प्राप्त निधि अथवा गैर निधि सुविधाएं	
एफ.	मामले, जिनमें उपर्युक्त II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम या उम्मीदवार बैंक या किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के संदर्भ में वर्तमान में अथवा पूर्व में चूककर्ता रहा हो।	
<b>III</b>	<b>व्यावसायिक उपलब्धियों के अभिलेख</b>	
ए.	संबन्धित व्यावसायिक उपलब्धियाँ,	
<b>IV</b>	<b>उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो</b>	
ए.	अगर उम्मीदवार कोई व्यवसायिक संस्था/निकाय का सदस्य हो तो, अनुशासनिक कार्यवाही के विवरण जो विचाराधीन हो या शुरू किया गया हो या पूर्व में उम्मीदवार के सजा में परिणत हुआ हो या उम्मीदवार किसी भी व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो।	
बी.	उम्मीदवार और/या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम के विरुद्ध आर्थिक कानून या विनियमन के अतिक्रमण के लिए विचाराधीन या शुरू किए गए या सजा में परिणत अभियोग के विवरण	
सी.	पिछले वर्षों में उम्मीदवार के विरुद्ध विचाराधीन या शुरू किए गए, सजा में परिणत आपराधिक अभियोग के विवरण	
डी.	क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274) के अंतर्गत दी गई किसी अनर्हता के अधीन उम्मीदवार अनर्ह है?	
ई.	क्या उम्मीदवार या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंसी की ओर से जाँच-पड़ताल की गई है?	
एफ.	क्या उम्मीदवार को सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/ विदेशी विनियम/ अन्य राजस्व प्राधिकारी के नियम/विनियम/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हाँ, तो ब्यौरे दें।	
जी.	क्या उम्मीदवार को सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारतीय रिजर्व बैंक, एफईएमए, एमसीए और सिबिल आदि विनियमन संस्थाओं द्वारा विपरीत नोटिस दिया गया है? (यद्यपि उम्मीदवार के लिए विनियमकों के उन आदेशों/ निष्कर्षों को, जिन्हें पूर्णतः प्रत्यावर्तित/रद्द किया गया हो, इस कॉलम में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से या अवधि सीमा या क्षेत्राधिकार के अभाव में, न कि गुणता पर, प्रत्यावर्तन/ रद्दीकरण किया गया है तो उसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा। यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है और अपीलीय / न्यायालय प्रक्रिया लंबित है, तो उसका भी उल्लेख करना होगा)।	
<b>V</b>	<b>मद संख्या I से III के संबंध में और कोई स्पष्टीकरण/सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबन्धित सूचना</b>	

#### वचन

मैं ..... श्री ..... का पुत्र / पुत्री / पत्नी पुष्टिकृत करता / करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी से संबंध हो सकता है, को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता / देती हूँ।

मैं, बैंक के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता / देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक :

नोट :

- जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति-संदर्भ के साथ दें।
- प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों।

#### नामांकन समिति की टिप्पणियां

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति अध्यक्ष

स्थान :

दिनांक :

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260 अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

## एनईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरण हेतु फार्म

सेवा में  
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड  
यूनिट : इंडियन बैंक  
सुब्रमणियन बिल्डिंग,  
1, क्लब हाउस रोड,  
चेन्नै 600 002

प्रिय महोदय,

संदर्भ : इंडियन बैंक के ईक्विटी शेयर – जिन केन्द्रों में यह सुविधा उपलब्ध है, उनमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (नेफ्ट) सुविधा के जरिए लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मैं/हम इंडियन बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक हैं।

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे/हमारे लाभांश का भुगतान एनईसीएस/एनईएफटी सुविधा के जरिए करने की व्यवस्था करें तथा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उसे मेरे/हमारे खाते में जमा करें:

1. प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम	
2. ए.) पंजीकृत फोलियो सं. (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज़्ड नहीं किए गए हैं) बी.) डीपी आईडी सं. क्लाइंट आईडी सं. (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज़्ड किए गए हैं)	
3. बैंक खाते के विवरण	
ए. बैंक का नाम	
बी. शाखा का नाम	
सी. शाखा का पता (पिनकोड के साथ)	
डी. दूरभाष एवं फैक्स नंबर	
ई बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में दिए अनुसार बैंक एवं शाखा का 9 अंकोंवाला माइकर कोड नंबर	
एफ. खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद उधार, कोड 10/11/13 के साथ)	
जी. चेक बुक में दिए अनुसार खाता संख्या	

(कृपया उपर्युक्त विवरणों के सत्यापन के लिए निरस्त कोरा चेक या आपके बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो प्रति संलग्न करें )

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण कोई लेनदेन में विलंब होता है या लेनदेन किया ही न जाता है, तो मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएँगे। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जो मुझे/हमें एनईसीएस/एनईएफ्ट से लाभांश का भुगतान करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, कागज़ी रूप में लाभांश अधिपत्र भेजने का अधिकार रखता है।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

(प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम एवं हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकार्डों के अनुसार सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

1. यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप (डी-मेट) में शेयर रखते हैं तो सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को बैंक विवरण दे दें।
2. कृपया सभी कॉलम भरें। अपूर्ण फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप पहले ही यह फार्म प्रस्तुत कर चुके हैं तो कृपया इसपर ध्यान न दें।

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष, 254-260, अक्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

### प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो संख्या	डीपी आईडी	
	क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटेरियलाइज नहीं किये गए हो तो)	(यदि शेयर डीमेटेरियलाइज किये गए हो तो)	

मैं / हम, ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी हूँ, इंडियन बैंक का / के शेयरधारक होने के नाते एत द्वारा श्री / श्रीमती ..... जो ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी हूँ, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री / श्रीमती ..... जो ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी हूँ, को सोमवार, जून 12, 2017 को प्रातः 10.30 बजे इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में और उसके किसी स्थान पर आयोजित की जानेवाली इंडियन बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

आज ..... दिनांक ..... 2017 को हस्ताक्षरित

कृपया 15  
पैसे का राजस्व  
स्टैम्प चिपकाए

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

.....

#### प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे दायर करने के लिए अनुदेश

- प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक
  - वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है ;
  - संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।
  - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता / सकती है, तो यदि उसका चिह्न उस पर लगाया जाता है और किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्यूरेंस सब-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित नहीं हो और निम्नलिखित पते पर कम से कम वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के **चार दिन पहले** मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकारी के साथ, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।

इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, 254-260, अक्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा चेन्नै - 600 014.	केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड <b>यूनिट : इंडियन बैंक</b> सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002.
--	---

- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।
- प्रॉक्सी का लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उस वार्षिक आम बैठक से जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।



आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष, 254-260 अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014.

### उपस्थिति पर्ची

(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक : जून 12, 2017

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028

पंजीकृत फोलियो	डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो तो)	(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किये गए हो तो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

मैं, सोमवार, जून 12, 2017 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028, में आयोजित बैंक की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
--



आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष, 254-260 अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014.

### एंटी पास

(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

दिनांक : जून 12, 2017

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028

पंजीकृत फोलियो	डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो)	(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किए गए हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
उपस्थित शेयरधारक/प्राक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों / प्राक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, एंटी पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन / जाँच के अध्यक्षीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डूब्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह एंटी पास जारी नहीं किया जाएगा।



आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष, 254-260 अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

(बेलेट पत्र जारी किए जाने हेतु पोलिंग काउंटर में सौंप दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो	डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो)	(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किए गए हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	



Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.  
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

## **NOTICE**

**NOTICE** is hereby given that the **Eleventh Annual General Meeting** of the Shareholders of **Indian Bank** will be held on **Monday, the June 12, 2017 at 10.30 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2017, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year ended March 31, 2017.
3. To approve raising of Equity Capital by issue of 4.75 crore Equity Shares of face value of Rs.10/- each through Follow-on Public Offer / Rights Issue / Private Placement / QIP / Preferential Issue to be decided by the Bank, under Section 3 (2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, by passing the following Special Resolution:

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**"Act"**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**"Scheme"**) and the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 (**"Regulations"**), as amended and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**"ICDR Regulations"**), as amended upto date / guidelines, if any, prescribed by the SEBI, RBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10/- each and in any case not exceeding 4.75 Crore (Four crore seventy five lacs only) equity shares and aggregating to not more than Rs.47.50 Crore (Rupees fortyseven crore and fifty lacs only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs.480.29 crore shall be within the total Authorized Capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorized Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (**"NRIs"**), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) like Foreign Portfolio Investors (FPIs), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above or to institutional investors under Institutional Placement Programme as per Chapter VIII A of ICDR Regulations, as may be deemed appropriate by the Bank".

**"RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, QIP preferential issue and / or private placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and/ or all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

**"RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {"**SEBI (LODR) Regulations**"}, the provisions of the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of the ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer of Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promoter, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as the "**Appropriate Authorities**") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as the "**requisite approvals**"), the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP) as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, and / or Institutional Investors pursuant to Institutional Placement Programme (IPP), as provided for under Chapter VIIIA of the ICDR Regulations through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of a QIP made pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution".

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of a QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

**"RESOLVED FURTHER THAT** subject to any approval, consent, permission and / or sanction of RBI, GOI, SEBI and Stock Exchanges, as may be required and subject to all other necessary approvals, permissions, consents and / or sanctions of concerned statutory and other relevant authorities and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, permissions, consents and sanctions and which may be agreed to by the Board, consent, authority and approval is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot equity shares of face value of Rs.10/- each by way of fresh issue of equity shares through an Institutional Placement Programme (IPP) to qualified institutional buyers in accordance with Chapter VIIIA of the SEBI ICDR Regulations, such that the total number of equity shares held by the public (as defined in the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended), immediately at the completion of such offerings does not exceed 25% of the total number of outstanding equity shares as at the date of allotment of such securities, including pari passu clause for dividend entitlement, as may be applicable".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign entities be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such intermediaries / agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue of equity shares and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

**"RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted / hereafter constitute to give effect to the aforesaid Resolutions."

4. To elect two Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No.DBOD No.BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification"), Office Memorandum Ref. No.F.No.16/83/2013-BO-I dated September 03, 2013 and F.No.16/51/2012-BO-I dated April 28, 2015 of Government of India (GOI) by passing the following resolution:

**"RESOLVED THAT** two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Notifications and Office Memorandum of GOI, be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from July 01, 2017 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai  
Date : May 08, 2017

**Kishor Kharat**  
**Managing Director & CEO**



## NOTES

**i. EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

**ii. APPOINTMENT OF PROXY:**

**A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.**

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the June 07, 2017.

**iii. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the June 07, 2017.

**iv. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM - BALLOT PAPER PASS:**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

**v. BOOK CLOSURE :**

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Tuesday, the June 06, 2017 to Monday, the June 12, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of shareholders for payment of dividend declared, if any, at the Annual General Meeting.

**vi. PAYMENT OF DIVIDEND:**

Payment of dividend as approved by the shareholders shall be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on Monday, the June 05, 2017 after considering share transfer requests received till that date and in respect of shareholders holding their shares in dematerialized form as per the list provided to the Bank by the Depositories as on Monday, the June 05, 2017 and the dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

**vii. TRANSFERS:**

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given in Para (ix) below for the transfer of shares of the Bank.

**viii. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT) / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS):**

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their **Depository Participants** about their latest change of address and bank mandate details (**including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers**) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT/NECS. **The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.**

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (ix) below on or before, Monday, the June 05, 2017.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available, the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrant to the shareholders.

Aproforma of NECS Mandate/Bank Mandate is enclosed.

**ix. CHANGE OF ADDRESS:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

**M/s Cameo Corporate Services Limited  
(Unit : Indian Bank)  
Subramanian Building, No.1, Club House Road  
Chennai - 600 002.**

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and NECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s)**.

**x. VOTING RIGHTS:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in **the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.**

**xi. PARTICIPATION IN ELECTION / SPECIFIED DATE:**

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as at the close of business hours on Friday, the May 12, 2017 (hereinafter referred to as the Specified Date) shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote in the election of two directors amongst shareholders other than Central Government.

**xii. CUT-OFF DATE FOR VOTING:**

As per the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the Cut-Off Date i.e. Monday, the June 05, 2017, shall have one vote for each share held for him / her for exercising through Remote e-Voting / voting at the meeting on agenda items at the Annual General Meeting (Other than Election of Shareholder Directors).

**xiii. REQUEST TO SHAREHOLDERS:**

- a) Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of Annual Report to the Meeting. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.
- b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the Meeting.

Shareholders who wish to seek any information on the accounts are kindly requested to write to the Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

#### xiv. E-voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative in respect of Agenda Items, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the agenda items and resolutions mentioned in the notice of Eleventh Annual General Meeting of the Bank dated Monday, the May 08, 2017 (the AGM Notice). The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the e-Voting process in a fair and transparent manner. E-Voting is optional.

**The instructions for members for voting electronically are as under:-**

**The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 170511002**

(for agenda items 1, 2 and 3)

**The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 170511001**

(for agenda item 4)

#### (A) In case of members receiving e-mail:

- i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii) Log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- iii) Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "EVSN" along with "COMPANY NAME" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	<b>For Members holding shares in Demat Form</b>	<b>For Members holding shares in Physical Form</b>
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL: 16 digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Company
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-Voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	

\* Members who have not updated their PAN with the Company / Depository Participant are requested to use the default number: <Default Number> in the PAN field.

# Please enter any one of the details in order to login.

- vi After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii) Members holding shares in physical form will then reach directly to the voting screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Change' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ %& \*). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.
- ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.
- xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

**(B) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:**

- i) Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.
- (C) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to <https://www.evotingindia.com> and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
- (D) The cut-off date to ascertain the shareholders eligible to participate in the e-Voting / poll process in the Annual General Meeting for agenda items 1, 2 and 3 is Monday, the June 05, 2017 and the cut-off date to ascertain the shareholders eligible to participate in the e-voting/poll process with respect to agenda item 4 is Friday, the May 12, 2017. The voting period for all the agenda items in EVSN 170511002 and EVSN 170511001 starts from 10.00 a.m. on Friday, the June 09, 2017 and ends at 5.00 p.m. on Sunday, the June 11, 2017. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of June 05, 2017 or May 12, 2017 as the case may be, may cast their vote electronically. The e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- (E) In case you have any queries or issues regarding e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

**xv. Voting at the Meeting:**

The voting for the agenda item shall be done by e-Voting or by voting. Those who have not exercised the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the Annual General Meeting on the date of the meeting.

After the agenda items have been discussed, the Chairman will order voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholders may cast their votes as per the instructions provided in the Ballot papers to be provided to them.

The results of the voting aggregated with the results of e-Voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

**xvi. EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.3:**

**RAISING OF CAPITAL FUNDS:**

The Bank is in the business of the banking and its related activities. The Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 crore (Rupees three thousand crore only) and Paid-up Equity Capital is Rs.480.29 crore. Presently, Government of India's holding in Bank's Equity Capital stands at 82.10% i.e. Rs.394.34 crore.

As per SEBI guidelines, Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 provides that every listed public sector company which has public shareholding below twenty five per cent, on the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2014 (i.e. August 22, 2014), shall increase its public shareholding to at least 25% within a period of three years (i.e. by August 22, 2017) in the manner, as may be specified by SEBI. Further, Ministry of Finance had also informed that Union Cabinet had in December 2014 approved the proposal for allowing Public Sector Banks to raise capital from public through Follow-on Public Offer or Qualified Institutional Placement by diluting Government holding upto 52% in phased manner based on Bank's capital requirement, stock performance, liquidity, market appetite and subject to such conditions that may be prescribed for efficient use of capital and resources, on case to case basis.

Accordingly, in order to enhance the public holding to minimum required level of 25 per cent and taking into account the present market appetite, approval of the shareholders of the Bank is sought to the Resolution as indicated in item No.3 of the Notice convening the Eleventh Annual General Meeting, as a Special Resolution.

The Issue proceeds will be utilized to meet the capital requirements of the Bank and the growth in its assets, primarily Bank's loan and investment portfolio due to the growth of the Indian economy and for other general corporate purposes including meeting the expenses of the Issue.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

#### xvii. EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.4:

##### ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS:

Pursuant to the provisions of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "Act"), the Bank had made an Initial Public Offer (IPO) in the year 2007. At present, the holdings of the public shareholders, other than the Central Government, is 17.90%, in the total paid up share capital of the Bank. As the capital issued to the public is more than 16% but less than 32% of the total share capital of the Bank, two Shareholder Directors are required to be elected in terms of Section 9(3)(i) of the Act.

The term of Shri. Vinod Kumar Nagar and Shri. Sriram Ramachandran, the present Shareholder Directors ends on June 30, 2017. The Board of Directors have decided to fill in the said vacancies by election at the ensuing Annual General Meeting.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from July 01, 2017 and will hold office for a period of three years.

##### LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Scheme / Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME / REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prohibition of Common Directors</li> <li>➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors</li> </ul>
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i)  Section 9(3A) (A) to (C)  Section 9(3AA) Section 9(3AB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restriction on voting rights</li> <li>➤ No. of directors to be elected by the shareholders</li> <li>➤ Special knowledge in certain fields</li> <li>➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.</li> </ul>

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Section 9(3B)  Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.</li> <li>➤ Obligation as to fidelity and secrecy</li> </ul>
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10  Clause 11 Clause 11A Clause 11B  Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Term of office of elected directors</li> <li>➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank</li> <li>➤ Vacation of office of Director</li> <li>➤ Removal from office of an elected Director</li> <li>➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director</li> <li>➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.</li> </ul>
Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended	Regulation 10 Regulation 53 Regulation 55 Regulation 56 Regulation 57 Regulation 58 Regulation 59 Regulation 60 Regulation 61 Regulation 62	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Exercise of rights of joint holders</li> <li>➤ Voting at General Meetings</li> <li>➤ Directors to be elected at General Meetings</li> <li>➤ List of Shareholders</li> <li>➤ Nomination of candidates for election</li> <li>➤ Scrutiny of nominations</li> <li>➤ Election disputes</li> <li>➤ Determination of voting rights</li> <li>➤ Voting by duly authorized representative</li> <li>➤ Proxies</li> </ul>
RBI Notification No. DBOD. No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks</li> </ul>
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 1618312013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non-Official Director dated 01.06.2011.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.</li> </ul>
RBI Master Circular dated 2nd June 2012 - (RBI/2012-13/79 DBOD.No. Dir.BC.4/13.03.00/2012-13).		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Granting loans and advances to relatives of Directors.</li> </ul>
Office Memorandum Ref. No.F.No.16/83/2013-BO.I dated September 03, 2013 and Letter F.No.16/51/2012- BO.I dated April 28, 2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on Appointment of Part-time Non-Official Directors on the Board of the banks.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, the guidelines dated June 01, 2011 and dated April 28, 2015 (the extant Government of India guidelines) regarding appointment of Part-time Non-Official Director also to be kept in mind while carrying out determination of "Fit and Proper" status of the candidates.</li> </ul>
SEBI (LODR) Regulations, 2015.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Regulation 44(1) – the listed entity shall provide the facility of Remote e-Voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders resolutions.</li> </ul>
The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended on March 19, 2015.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rule 20 enumerates the procedure for voting through electronic means. In terms of Rule 20(ii), cut-off date (specified date) for determining the eligibility to vote by electronic means or in the General Meeting through POLL shall be a date not earlier than 7 days before the General Meeting.</li> </ul>

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, the Scheme / Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Office Memorandum Ref. No.16/83/2013-BO.I dated September 03, 2013 and Letter F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, will be hosted in the Bank's website www.indianbank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Indian Bank at their Corporate Office at Investor Services Cell, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600 014 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Friday, the May 26, 2017.

### **1. PARTICIPATION IN ELECTION:**

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the cut-off date i.e, on Friday, the May 12, 2017 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

### **2. (a) QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK :**

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

### **3. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK :**

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

B. If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

#### **4. LIST OF SHAREHOLDERS :**

As provided in Regulation 56 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., (C.D.) will be available at Investor Services Cell at Corporate Office of the Bank from Monday, the May 22, 2017 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft in favour of Indian Bank payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Investor Services Cell, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Saturday (other than 2nd and 4th Saturdays) between 11.a.m. to 4.p.m .

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

#### **5. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:**

In terms of Regulation 57 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the May 12, 2017 being the cut-off date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- (b) As on Friday, the May 26, 2017, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications / GOI Guidelines.
- (c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Corporate Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager (Accounts), Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600 014 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (d) The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- (e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website [www.indianbank.in](http://www.indianbank.in)).
- (f) He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and Letter F.No.16/51/2012.BO.I dated April 28, 2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, from being a director.

#### **6. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS :**

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.



in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the Deputy General Manager (Accounts), Indian Bank, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 on any working day on or before 4.00 p.m., on Friday, the May 26, 2017.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

#### **7. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:**

- (i) Nominations shall be scrutinized on Monday, the May 29, 2017 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- (ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Policies for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India.
- (iii) The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of their candidature.
- (iv) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Agenda Item No.4 would not be taken up at the Annual General Meeting. The newly elected directors will assume office on July 01, 2017.
- (v) In the event of an election being held, if valid nominations are more than two the candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

#### **8. VOTING PROCESS :**

As already informed, the voting in the Agenda items will be conducted by remote e-Voting and voting at the meeting as explained in Notes to Notice convening the meeting.

The counting of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman. The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

#### **9. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS :**

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e.5.00 p.m., on Thursday, the June 08, 2017.

#### **10. DISPUTES:**

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 59 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999.

#### **11. EXTRACTS:**

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

#### **12. INTEREST OF DIRECTORS:**

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai  
Date : May 08, 2017

**Kishor Kharat**  
**Managing Director & CEO**

**THE ANNUAL REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR 2016-17 IS BEING SENT SEPARATELY. SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE AND ANNUAL REPORT TO THE MEETING.**

## **ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.**

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

### **1. THE BANKING REGULATION ACT, 1949**

#### **Prohibition of Common Directors – Section 16(1)**

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

#### **Restrictions on Loans and Advances – Section 20**

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
  - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
  - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
    - (i) any of its Directors
    - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
    - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
    - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

#### **Explanation in this Section –**

- (a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
  - (b) “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

## **2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970**

### **Restrictions on voting rights**

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

### **Composition of the Board of Directors**

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- (ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- (iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -

- agriculture and rural economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small scale industry
- Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

### **Obligation as to Fidelity and Secrecy:**

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

### **3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970**

#### **Term of office of elected Director**

##### **Clause 9 (4) :**

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

#### **Disqualification of Directors**

##### **Clause 10**

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude
- (d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

#### **Vacation of office of Directors**

##### **Clause 11**

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

#### **Removal from office of an elected Director**

##### **Clause 11A :**

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

#### **Filling of vacancy in the office of an elected Director**

##### **Clause 11B**

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.  
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

#### **Disclosure of interest by Directors**

##### **Clause 12(8)**

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

#### **4. INDIAN BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1999**

##### **Exercise of rights of joint holders :**

##### **Regulation 10 :**

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

##### **Directors to be elected at general meeting :**

##### **Regulation 55 :**

- (i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of Indian Bank.
- (ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

##### **List of shareholders :**

##### **Regulation 56 :**

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

##### **Nomination of candidates for election:**

##### **Regulation 57:**

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
  - (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Bank
  - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
  - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
  - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Indian Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
  - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Indian Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

**Scrutiny of nominations:****Regulation 58:**

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

**Election disputes:****Regulation 59:**

- (i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Indian Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Indian Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

**Voting Rights of Shareholders:****Determination of voting rights:****Regulation 60:**

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

**Voting by duly authorized representative:****Regulation 61:**

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Indian Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.

- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Indian Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

### **RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES**

Reserve Bank of India ( RBI ) , in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA ) of Section 9 of the Banking Companies ( Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific " Fit and Proper " Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings)Act 1970/1980.

### **SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES**

The Authority , Manner/ Procedure and Criteria for deciding the " Fit and Proper " status etc., are as under:

#### **(a) Authority:**

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

#### **(b) Manner and procedure:**

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the prescribed format from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

#### **(c) Criteria**

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational qualification
- (ii) Experience and field of expertise
- (iii) Track record and integrity

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

#### **(d) Other matters**

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

**GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR - GOI guidelines dated June 01, 2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated September 03, 2013 and revised vide MOF Letter No. F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 (the extant Government of India guidelines):**

**GENERAL**

Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts / Rules.

The suitability of nominees may be assessed in terms of qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable practices etc., will be relied upon.

**EXPERIENCE**

1. Persons of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs / EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs / EDs of PSB will not be considered for appointment as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians / Directors of premier Management / Banking Institutes and Professors having more than 20 years experience.
4. Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST / OBC community.

**EDUCATION**

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

**AGE**

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

**WORK EXPERIENCE**

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in the particular field.

**DISQUALIFICATION**

1. A Director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank / FI / RBI / Insurance Company.
2. Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
3. No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for terms or six years whichever is longer.

**TENURE**

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.





CORPORATE OFFICE : 254-260, AVVAI SHANMUGAM SALAI, ROYAPETTAH,  
CHENNAI 600 014

### **NOMINATION FORM**

To  
The Managing Director & CEO,  
Indian Bank,  
Corporate Office,  
254-260, Avvai Shanmugam Salai  
Royapettah, Chennai 600 014.

Dear Sir,

#### **ELECTION OF DIRECTORS**

With reference to your Notice dated ....., I, ..... a shareholder of Indian Bank holding ..... equity shares of Rs. 10/- each as on Friday, the May 12, 2017 i.e., the Cut-off date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ....son / daughter / wife of .....residing at ..... for being elected as a Director of Indian Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on June 12, 2017.

<b>Name</b>	
<b>Signature</b>	
<b>No. of shares</b>	
<b>Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)</b>	
<b>DP ID No. &amp; Client ID No. (If shares are dematerialized)</b>	
<b>Place</b>	
<b>Date</b>	

**Notes:**

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah,  
Chennai 600 014.

### Declaration

I, .....son / daughter / wife of Shri / Smt.  
.....resident of ..... hereby confirm that :

- a. I am a shareholder holding ..... equity shares of the Bank on Friday, the May 12, 2017 i.e. the cut-off date for participating in the elections and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank, and
- b. I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or ..... (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,\* and
- c. I accept the nominations numbering .....and
- d. I am willing to contest for the election of Director of **INDIAN BANK**, and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 and Notification issued by Reserve Bank of India in this regard and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks, and
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and
- g. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- h. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- i. I am not connected with hire-purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock Broker, and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- k. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and
- l. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- m. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

- n. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank, and
- o. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank, and
- p. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the company, bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

I enclose my personal details in the enclosed Personal Information, Declaration and Undertaking Form, which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if shares are dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

---

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Bank or any Nationalized Bank.

\*Delete whichever is not applicable.



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

## PERSONAL INFORMATION OF THE CANDIDATE

**NAME OF THE BANK : INDIAN BANK**

**AFFIX  
PASSPOT  
SIZE PHOTO  
HERE**

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on .....		
<b>I</b>		<b>Personal details of Candidate</b>
	<b>a</b>	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)
	<b>b</b>	Date of Birth
	<b>c</b>	Educational Qualifications
		(Educational/ academic)(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information). (Educational/ professional)(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
	<b>d</b>	Relevant Background and Experience(As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970.(Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).
	<b>e</b>	Permanent Address
	<b>f</b>	Present Address
	<b>g</b>	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)
	<b>h</b>	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.
	<b>i</b>	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970
	<b>j</b>	Any other information relevant to Directorship of the Bank
<b>II</b>		<b>Relevant Relationships of Candidate</b>
	<b>a</b>	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]
	<b>b</b>	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]
	<b>c</b>	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing
	<b>d</b>	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)
	<b>e</b>	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank

<b>f</b>	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
<b>III</b>	<b>Records of professional achievements</b>	
<b>a</b>	Professional achievements relevant	
<b>IV</b>	<b>Proceedings, if any, against the Candidate</b>	
<b>a</b>	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
<b>b</b>	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
<b>c</b>	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
<b>d</b>	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013 [Section 274 of the Company's Act, 1956]?	
<b>e</b>	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
<b>f</b>	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
<b>g</b>	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
<b>V</b>	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

**Undertaking**

I \_\_\_\_\_ Son/ Daughter / Wife of Shri \_\_\_\_\_ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

**Place :**

**Date :**

**Signature of Candidate**

**Enclosures:**

**Note:**

- Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
- Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

**Observations / Remarks of the Nomination Committee:**

Committee Member	Committee Member	Committee Chairman

**Place :**

**Date :**



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

## Form for NECS Mandate / Bank Account Details

To

**Cameo Corporate Services Limited**  
**Unit: Indian Bank**  
Subramanian Building,  
1, Club House Road,  
**CHENNAI - 600 002.**

Dear Sir,

**Re: Equity Shares of Indian Bank – option to receive dividend through National Electronic Clearing Service (NECS)/National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility at Centres where it is available.**

I/We hold equity shares of Indian Bank.

I/We request you to arrange for payment of my / our dividend through NECS/NEFT facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1. First / Sole Shareholder's name	
2. (a) Registered Folio No. (if shares are not dematerialized) (b) DP ID No. Client ID No. (if shares are dematerialized)	
3. Particulars of Bank Account	
(a) Bank Name	
(b) Branch Name	
(c) Address of the Branch (with PIN Code)	
(d) Telephone number and Fax number	
(e) 9-digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank	
(f) Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)	
(g) Account Number as appearing on the Cheque Book	

(Please attach a cancelled blank cheque or photocopy of a cheque issued by your Bank for verification of the above details).

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I/We would not hold the Bank responsible. I/We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me / us by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may affect the payment of dividend through NECS/NEFT.

Yours faithfully,

Place :

Date :

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :

Date :

Signature of the Branch Manager

1. In case you hold shares in electronic (D-Mat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository Participant.
2. Kindly fill in all columns. Incomplete forms shall not be entertained. Please ignore this form, if the same is already submitted.



Corporate Office, Investor Services Cell, 254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

### PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / We .....resident/s of ..... in the district of ..... in the state of ..... being a shareholder / shareholders of the Indian Bank, hereby appoint Shri / Smt ..... resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... or failing him / her, Shri / Smt ..... resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Eleventh Annual General Meeting** of the Shareholders of the **INDIAN BANK** to be held on Monday, the June 12, 2017 at 10.30 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of.....2017

Please affix  
15 paise  
Revenue  
Stamp

.....  
Signature of Proxy

.....  
Signature of first named / Sole shareholder

Name .....

Address .....

.....

.....

#### **Instructions for signing and lodging the Proxy Form**

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

Indian Bank Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014.	Cameo Corporate Services Limited <b>Unit : Indian Bank</b> Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai - 600 002.
---	--

- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.



Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

### ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : June 12, 2017

Time : 10.30 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(If shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

I hereby record my presence at the **11<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank held on Monday, the June 12, 2017 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.**

Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative	
---	--



Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

### ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 12, 2017

Time : 10.30 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(If shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

### (To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(If shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	